रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/97 REGISTERED NO. DL—33001/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 22, 1997 (फाल्गुन 3 1918)
No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 22, 1997 PHALGUNA 3, 1918

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधियां नियमों विनियमों आदेशों तथा सकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं . 237

भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं . . . 179

भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और प्रशासनिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं . . 3

भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं 299

भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . *

भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ . . *

भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के विवरण तथा रिपोर्ट . . . *

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिसमें सारांश स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) . . .

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं . .

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिसमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल है) के हिन्दी अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) *

भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश . . . *

भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग रेल विभाग और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . 119

भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस . 331

भाग III—खण्ड 3—संघ सरकार के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . —

भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल है। . 481

भाग IV—गैर-सरकारी इकाइयों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस 27

भाग V—प्रदेशों और विदेशों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को बताने वाला अनुपूरक

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	237
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	179
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	3
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	299
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	115
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	331
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	481
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	27
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Nos. not received

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वित्त मन्त्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 4 फरवरी 1997

संकल्प

विषय : केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति का पुनर्गठन ।

सं. 146/2/94-आई.टी.सी.सी.—करदाताओं और आयकर विभाग के बीच आपसी समझ और सहयोग के विकास एवं संवर्धन के उपायों पर सरकार को सलाह देने के लिए एवं सामान्य स्वरूप की प्रशासनिक तथा प्रक्रियात्मक कठिनाइयों को दूर करने के उपायों पर सरकार को सलाह देने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति के पुनर्गठन से संबंधित दिनांक 29 जनवरी, 1996 के संकल्प सं. 146/2/94-आई.टी.सी.सी. में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :—

ख. अन्य गैर-सरकारी सदस्य

के स्थान पर

(14) श्री जे. बी. दादाचनजी, एडवोकेट, नई दिल्ली ।

पढ़ा जाए

(14) श्री के. आर. रामामणी, एडवोकेट, चेन्नई ।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि सर्व-साधारण के सूचनार्थ इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

एस. महापात्र
उप-सचिव (आई.टी.सी.सी.)

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 28 जनवरी 1997

संकल्प

सं. 12019/6/96-एफपीपी-2—आर्थिक सुधारों की चल रही प्रक्रिया के संदर्भ में नियंत्रित उर्वरकों के लिए प्रतिधारण मूल्य सह-राजसहायता योजना जो 1977 से चल रही है को सरल एवं कारगर बनाने का मुद्दा भारत सरकार के विचाराधीन रहा है । अतः यूरिया पर राजसहायता देने की विद्यमान व्यवस्था की समीक्षा करने तथा व्यापक आधार वाली वैज्ञानिक एवं पारदर्शी पद्धति के विकल्प का सुझाव देने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त उर्वरक मूल्य निर्धारण नीति समीक्षा समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है ।

2. समिति का संघटन एवं उसकी शर्तें निम्नानुसार होंगी :—

समिति का संघटन

अध्यक्ष

1. प्रो. सी. एच. हनुमान्था राव,
पूर्व सदस्य, योजना आयोग

सदस्य

2. प्रो. जी. एस. भल्ला
कृषि अर्थशास्त्री

3. श्री पी. बी. कृष्णास्वामी
पूर्व सचिव, उर्वरक विभाग

4. अध्यक्ष, ब्यूरो आफ इंडस्ट्रियल
कास्ट एण्ड प्राइसेस
(बीआईसीपी) (पदेन)

5. श्री औ. एन. कपूर
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलमेंट
इंडिया लि.
(पी.डी.आई.एल.)

6. श्रीमती कान्ता आहूजा
अर्थशास्त्री, जयपुर

सदस्य सचिव

7. कार्यकारी निदेशक
उर्वरक उद्योग समन्वय समिति
(एफआईसीसी) (पदेन)

समिति का कार्यक्षेत्र

(2) उर्वरकों के लिए आर पी एस कार्यकरण की समीक्षा करना तथा आर्थिक सुधारों के वृहद लक्ष्य को ध्यान में

रखकर इस तंत्र की कमियों में सुधार के लिए सुझाव देना ।

(2) उद्योग को प्रोत्साहन की पर्याप्तता अथवा इसके अन्यथा की समीक्षा करना, शुद्ध मूल्य पर लाभ के औचित्य, क्षमता उपयोगिता के मानदण्ड, मूल्यह्रास आदि से संबंधित मुद्दों ।

(3) नई उर्वरक परियोजनाओं के संबंध में उपयुक्त पूंजी मानदण्ड तथा ऋण साम्य अनुपात का सुझाव देना ।

(4) इनपुट मूल्य निर्धारण नीति तथा आर.पी.एस. पर इसके प्रभाव की समीक्षा करना ।

(5) समीकृत भाड़ा तंत्र की समीक्षा करना तथा इसे तर्कसंगत बनाने के लिए उपायों की सिफारिश करना जिसमें लीड्स को कम करने के लिए देशभर में संचालन को न्यूनतम करना भी शामिल है ।

(6) उर्वरक उद्योग के नियंत्रित एवं अनियंत्रित उर्वरकों के संबंध में नीतियों के समंजन में सुधार के लिए उपाय सुझाना विशेष रूप से उन नीतियों के लिए जिनसे उर्वरकों की उपलब्धता प्रभावित होती है तथा उर्वरक राजसहायता को उचित स्तर पर रखते हुए नियंत्रित एवं अनियंत्रित उर्वरकों के तुलनात्मक मूल्य निर्धारण से कृषि के लिए एन पी के का उचित वांछित अनुपात प्राप्त हो सके ।

(7) कोई अन्य मद जिसे उपयुक्त समझा जाए ।

3. समिति अपने गठन की तारीख से 6 माह की अवधि के भीतर अपने निर्णय एवं सिफारिशें प्रस्तुत करेगी ।

4. उर्वरक उद्योग समन्वय समिति का कार्यालय समिति को सचिवालयीय सहायता प्रदान करेगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित प्रशासन, लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों तथा भारत सरकार के संबद्ध मंत्रालयों एवं विभागों को भेज दी जाए ।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

कमल कान्त जैसवाल
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 4th February 1997

RESOLUTION

Subject :—Reconstitution of Central Direct Taxes Advisory Committee.

F. No. 146/2/94-ITCC.—The following amendment is made in the Resolution No. 146/2/94-ITCC dated 29th January, 1996 regarding reconstitution of Central Direct Taxes Advisory Committee to advise the Government on measures for developing and encouraging mutual understanding and co-operation between tax payers and the Income-tax Department and to advise the Government on measures for removing administrative and procedural difficulties of a general nature :—

B. OTHER NON-OFFICIAL MEMBERS

For

(xiv) Shri J. B. Dadachanji, Advocate, New Delhi.

Read

(xiv) Shri K. R. Ramamani, Advocate, Chennai.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. MOHAPATRA
Dy. Secy. (ITCC)

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS
(DEPARTMENT OF FERTILIZERS

New Delhi-110001, the 28th January 1997

RESOLUTION

No. 12019/6/96 FPP-II.—The issue of steamlining, in the context of the on-going process of economic reforms, the Retention Price-cum-Subsidy Scheme for controlled fertilizers, which has been in operation since 1977, has been under the consideration of the Governmement of India. Accordingly, it has been decided to constitute a High Powered Fertilizers Pricing Policy Review Committee to review the existing system of subsidization of urea and suggest an alternative broad based, scientific and transparent methodology.

2. The composition and terms of reference of the Committee shall be as follows :—

COMPOSITION OF THE COMMITTEE

Chairman

1. Prof. C.H. Hanumantha Rao,
Former Member, Planning Commission.

Members

2. Prof. G. S. Bhalla,
Agri- economist

3. Sh. P. B. Krishnaswamy,
Former Secretary, D/o Fertilizers,

4. Chairman, Bureau of Industrial Costs and Prices (BICP) (ex-officio).

5. Sh. O. N. Kapur,
Chairman-cum-Managing Director,
Project and Development India Ltd. (PDIL)

6. Smt. Kanta Ahuja,
Economist, Jaipur.

Member Secretary

7. Executive Director,
Fertilizer Industry Coordination Committee (FICC). (Ex-officio).

TERMS OF REFERENCE OF THE COMMITTEE

(i) To review the working of the RPS for fertilizers and to make the suggestions for correcting the deficiencies of the system keeping in view the board objectives of economic reform.

(ii) To review the adequacy or otherwise of incentives to the industry. Issues relating to reasonableness of return on networth norms of capacity utilization. depreciation etc.

(iii) To suggest appropriate capital norms and debt equity ratio in respect of new fertilizer projects.

(iv) To review the input pricing policy and its impact on the RPS.

(v) To review the system of equated freight and recommend measures to rationalise it, including minimisation of cross country movement to reduce leads.

(vi) To suggest measures to improve the cohesiveness of the policies in respect of the controlled and decontrolled segments of the fertilizer industry, especially the policies impinging on the availability of fertilizers and the relative pr cing of controlled and decontrolled fertilizers with a view to achieving an agronomically desirable NPK consumption ratio while keeping the fertilizer subsidy at a reasonable level.

(vii) Any other item that may be considered appropriate.

3. The committee shall submit its conclusions and recommendations with in a period of six months from the date of its constitution.

4. The office of FICC will provide secretarial support to the Committee.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administration, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariate and the concerned Ministries and Departments of the Government of India.

2. ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. K. JASWAL,
Jt. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1997
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad and published by the Controller of Publications, Delhi, 1997